भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ 1533 (अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को कोरबा द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् 3.5 लाख टन/वर्ष से 9.0 लाख टन/वर्ष एल्युमिनियम स्मेंल्टर एवं 300 मेगावाट केप्टिव पॉवर प्लांट की दिनांक 16.11.2007, दिन–शुक्रवार, स्थान–तहसील कार्यालय, कोरबा जिला–कोरबा में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को कोरबा द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् 3.5 लाख टन/वर्ष से 9.0 लाख टन/वर्ष एल्युमिनियम स्मेल्टर एवं 300 मेगावाट केप्टिव पॉवर प्लांट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् अपर कलेक्टर, कोरबा की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा की उपस्थिति में दिनांक 16.11.2007, दिन–शुक्रवार को तहसील कार्यालय, कोरबा, जिला–कोरबा में प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई प्रारंभ हुई।

सर्वप्रथम श्री गुंजन गुप्ता, सीनियर वाईस प्रेसीडेंट, मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना और पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट (ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट) के संक्षिप्त सार का प्रस्तुतिकरण उपस्थित जन समुदाय के समक्ष करते हुए जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को कोरबा द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् 3.5 लाख टन/वर्ष से 9.0 लाख टन/वर्ष एल्युमिनियम स्मेल्टर एवं 300 मेगावाट केप्टिव पॉवर प्लांट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् आयोजित लोक सुनवाई में लोक सुनवाई सूचना प्रकाशन तिथि से दिनांक 15.11.2007 तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा में लिखित में 05 चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई है। दिनांक 16.11.2007 को आयोजित लोक सुनवाई के दौरान लिखित में 08 चिंताएं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई। इस प्रकार लिखित में कुल 13 चिंताएं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान

04 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक में चिंताएं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को सुनकर अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में कुल 40 व्यक्तियों द्वारा रजिस्टर में हस्ताक्षर किया गया।

लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैः–

- उद्योग से निकलने वाली दूषित वायु एवं राखड़ से आपसपास के क्षेत्रों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।
- उद्योग स्थापित होने से आसपास के गांव में प्रदूषण फैलेगा।
- योग्यतानुसार उद्योग में स्थनीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाये।
- उद्योग परिसर के आसपास सघन वृक्षारोपण किया जाये।
- चिकित्सा की सुविधा आसपास के ग्रामों में उपलब्ध करायी जाये।
- बालको का नया स्मेल्टर पॉवर प्लांट पुराने संयंत्र के स्थल पर स्थापित नहीं किया जाये। क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में कई संयंत्र लगे हैं जिससे लोग गंभीर बिमारियों से ग्रसित हैं।
- उद्योग प्रबंधन द्वारा प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में तथा भविष्य में होने वाली परिणामों के प्रति प्रबंधन जागरूक नहीं है।

श्री गुंजन गुप्ता, सीनियर वाईस प्रेसीडेंट, मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा प्राप्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के संबंध में मौखिक रूप से जन समुदाय को अवगत कराया गया किः–

- उद्योग से उत्पन्न सभी दूषित जल को उपचार उपरांत पुनः विभिन्न कार्यो में उपयोग में लाया जाकर शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी।
- वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पावर प्लांट में उच्च दक्षता का इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर की स्थापना किया जाकर वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जावेगा।
- उद्योग परिसर एवं परिसर के आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम व्यवस्था की जावेगी।

- जल, वायु आदि प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्धारित मापदण्डों का पालन कड़ाई से किया जावेगा।
- राख का उपयोग भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14 सितंबर 1999 (यथा संशोधित) को जारी अधिसूचना अनुसार सुनिश्चित किया जावेगा।
- उद्योग परिसर के चारो तरफ सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।
- आसपास के ग्रामों में कम्यूनिटी वेलफेयर एवं इको डेव्हलपमेंट हेतु पृथक से प्रतिवर्ष बजट प्रावधान रखा जावेगा। आसपास स्थित सभी ग्रामों में ग्राम पंचायतों/ग्रामसभा/ प्रशासन के निर्देशानुसार कम्यूनिटी वेलफेयर एवं इको डेव्हलपमेंट की कार्यवाही की जावेगी।
- बालको अपनी स्वयं की भूमि पर संयंत्र की स्थापना कर रहा है एवं पूर्व से ही नगर निगम कोरबा के परिक्षेत्र में स्थापित है।
- नय स्मेल्टर एवं उससे संबंधित केप्टिव पॉवर प्लांट की स्थापना से जिले में एल्युमिनियम के उत्पादन में अग्रणी होने के साथ–साथ विद्युत निर्माण में भी प्रदेश आत्म निर्भर होगा तथा प्रबंधन प्रदूषणकारी स्त्रोतों पर प्रभावी एवं कारगर नियंत्रण उपकरण स्थापित करेगा। प्रदूषण का मानक स्तर मानकों के अनुरूप रहे ऐसी व्यवस्था प्रबंधन द्वारा की जावेगी तथा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना के लिए पृथक मद रखा जा रहा है। अपितु नये संयंत्र की स्थापना से अधिक प्रदूषण होने की संभावना नहीं है वरन् उपकरण की स्थापना से प्रदूषण का मानक स्तर अपेक्षाकृत कम रहेगा।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि प्राप्त चिंताओं/सुझाव/ विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों पर समाधनकारक कार्यवाही करते हुए वर्तमान में बनाये गए प्रारूप ई.आई.ए. रिपोर्ट में समुचित परिवर्तन किया जाकर अंतिम ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाकर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाहियों की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई।

लोक सुनवाई के पूर्व लिखित में 05 एवं लोक सुनवाई के दौरान 08 कुल 13 चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई तथा लोक सुनवाई के दौरान

04 व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों का अभिलिखित पत्रक, लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का उपस्थित पत्रक, विडियो रिकार्डिग (असंपादित सी.डी.) एवं फोटोग्राफ्स संलग्न कर लोक सुनवाई कार्यवाही विवरण संलग्न कर सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
कोरबा (छ.ग.)

अपर कलेक्टर
कोरबा
जिला–कोरबा (छ.ग.)